<u>न्यायालय संख्या - 46</u>

वाद: जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 3782 सन् 2012

याचिकाकर्ता: मदन

प्रत्यर्थी: गृह सचिव के माध्यम से, उत्तर प्रदेश राज्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अतुल कुमार

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

<u>माननीय न्यायमूर्ति अमर सरन</u>

<u>माननीय न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा</u>

हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री एम.एस. पाइपरसेनिया को सुना।

यह एक और मामला है जहां स्वयं को बंधुआ मजदूर होने का दावा करने वाले व्यक्तियों के एक समूह ने जनहित याचिका में बंधन से मुक्ति की मांग करते हुए इस न्यायालय की तरफ रुख किया है।

हमें, बंदी *प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या 70403 सन् 2011 सागीर एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य* में दिनांक 5.1.12 के विस्तृत निर्णय और आदेश द्वारा बंधुआ मजदूरों पर विधि और ऐसे मामलों और शिकायतों से कैसे निपटा जाना है, इसे समझाने का अवसर मिला था।

वर्तमान याचिका एक व्यक्ति मदन द्वारा दायर की गई है, जिसका कहना है कि उसके परिवार के सदस्य और कुछ अन्य व्यक्ति (कुल 26) प्रत्यर्थी संख्या 3 ब्रह्मपाल की ईंट भट्टा में, ग्राम खेरताना, थाना सरूरपुर, जिला बागपत में हिरासत में रखे गए हैं और वे ईंट भट्टा छोड़ने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए काम करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। याचिका में

Translated Version, Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

और साथ ही एस.एस.पी. बागपत के समक्ष दिनांक 6.1.2012 के अभ्यावेदन में यह कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं से 18-20 घंटे तक काम कराया जा रहा है, बिना भुगतान के और बीमार बच्चों को कोई दवाई या अस्पताल की सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है। महत्वपूर्ण रूप से, पैराग्राफ 5 में यह कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं से कुछ खाली कागजों पर हस्ताक्षर कराए गए हैं और कुछ आपराधिक तत्वों की सहायता से उन्हें ब्रह्मपाल के भट्टे पर बंधुआ मजदूरों के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तथापि, वे ईंट भट्टा मालिक के लिए काम करने हेतु स्वेच्छा से कोई बंधन भरने से इनकार करते हैं और उसके चंगुल से मुक्त होने की प्रार्थना करते हैं।

हमारा विचार है कि यद्यपि याचिकाकर्ताओं जैसे व्यक्ति ईंट भट्टों में बंधुआ मजदूरों के रूप में काम कर रहे होंगे, उन्हें दिए गए अग्रिम के कारण, लेकिन ये तथ्य अभ्यावेदन और याचिकाओं में उल्लिखित नहीं हैं क्योंकि आमतौर पर ऐसे व्यक्तियों को स्थानीय अधिवक्तागण से गलत कानूनी सलाह या निःशुल्क सलाह दी जाती है कि यदि वे स्वीकार करते हैं कि उन्होंने कुछ अग्रिम लिया है, तो वे तब तक ईंट भट्टा छोड़ने के लिए स्वतंत्र नहीं होंगे जब तक वे अपना अग्रिम राशि चुका नहीं देते।

स्पष्ट रूप से, यह सलाह बंधुआ श्रम प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 (संक्षेप में बंधुआ श्रम अधिनियम) के प्रावधानों की पूर्ण गलतफहमी से निकलती है। बंधुआ श्रम आमतौर पर "बंधुआ ऋण" के परिणामस्वरूप निकाला जाता है, जिसे बंधुआ श्रम अधिनियम की धारा 2(d) में एक मजदूर को दिया गया अग्रिम कहा गया है और उक्त अग्रिम के बदले में बंधुआ मजदूर को बंधुआ श्रम प्रणाली में प्रवेश करने के लिए बाध्य किया जाता है। बंधुआ श्रम प्रणाली को धारा 2 (g) में परिभाषित किया गया है, और इसका अर्थ एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा देनदार या उसके उत्तराधिकारी और आश्रित अग्रिम के बदले में लेनदारों को निर्दिष्ट या अनिर्दिष्ट अवधि के लिए बिना मजदूरी या नाममात्र की मजदूरी पर सेवा प्रदान

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

करने के लिए बाध्य होते हैं, कहीं और रोजगार तलाशने या भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने या बाजार मूल्य पर अपना श्रम स्वतंत्र रूप से बेचने की स्वतंत्रता का त्याग करते हुए। बंधुआ श्रम अधिनियम के अधिनियमन के बाद, धारा 6 के तहत, बंधुआ ऋण चुकाने की दायता समाप्त हो जाती है, और धारा 9 के तहत, लेनदार समाप्त हुए ऋण के विरुद्ध भुगतान स्वीकार नहीं कर सकता, जिसे स्वीकार करने पर तीन वर्ष तक की कैद और जुर्माना का दंड हो सकता है।

वास्तविक रूप से भी वर्तमान मामले में हमें यह विश्वास करना कठिन लगता है कि याचिकाकर्ता यह दावा करते हैं कि उन्हें बिना कोई अग्रिम प्राप्त किए ईंट भट्टे पर बिना मजदूरी के काम करने के लिए बाध्य किया गया था। ऐसी स्थितियां भी असंभव नहीं हैं, जहां विवाह के लिए या अपने परिवार में बीमारी के कारण पर्याप्त अग्रिम की आवश्यकता वाले मजदूर ईंट भट्टा मालिक के लिए काम करने के लिए सहमत हो जाते हैं, और अपनी आपातकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद, नियोक्ता को छोड़ने और अग्रिम राशि चुकाने से बचने के लिए वे बंधुआ श्रम की शिकायत दर्ज करते हैं। लेकिन इन गरीब व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, जिनका प्रभाव उनके नियोक्ता के प्रभाव से मेल नहीं खाता, जो आमतौर पर बिजली या पानी के बिना खुली जगहों पर तंबुओं में रहते हैं और अपने छोटे बच्चों के लिए चिकित्सा और अन्य सुविधाओं और शिक्षा के बिना, ऐसे झूठे मामले अपवादस्वरूप होने की संभावना है।

सागीर एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (उपर्युक्त) में निर्धारित मानदंडों के अनुसार यह पता लगाने के लिए कि कोई व्यक्ति बंधुआ है या नहीं, और बंधुआ मजदूरों या कमजोर भूमिहीन या संसाधनहीन व्यक्तियों को उपलब्ध राहत के लिए जिलाधिकारी और जिला स्तरीय उप/सहायक श्रम आयुक्त यह पता लगाने के लिए जांच करा सकते हैं कि ब्रह्मपाल की ईंट भट्टा के मजदूर बंधुआ थे या नहीं, और क्या उन्हें कोई निवारक राहत या अन्य

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

सामाजिक-आर्थिक राहत प्रदान की जा सकती है। हम यह भी चाहेंगे कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला न्यायाधीश) बागपत स्थानीय स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़े पैरालीगल या विधिक सहायता अधिवक्ताओं द्वारा ऐसी जांच कराए।

मजदूरों द्वारा अग्रिम लेने की आवश्यकता इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि ऐसे भूमिहीन और संसाधनहीन व्यक्तियों को बिना शर्तों के पर्याप्त ऋण प्रदान करने के लिए कोई प्रभावी प्रणाली, सरकारी या गैर-सरकारी नहीं है। इसलिए हमारा विचार है कि यदि ऐसे गरीब, भूमिहीन, संसाधनहीन और व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाए, जहां कहीं भी वे निवास कर रहे हों और उनकी दैनिक और आपातकालीन आवश्यकताओं की कमी को पूरा करने के लिए बैंकों और अन्य सरकारी या निष्पक्ष गैर-सरकारी एजेंसियों से ऋण उपलब्ध कराया जाए, तो वे अग्रिम की तलाश करने की संभावना कम होगी और परिणामस्वरूप उनके नियोक्ताओं के प्रति बंधुआ होने का जोखिम कम हो जाएगा। ऐसे श्रमिकों की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है दोनों उनके घरेलू क्षेत्रों में और साथ ही गंतव्य स्थान पर (जैसा कि प्रवासी मजदूरों के मामले में होता है), जहां वे असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। नियोक्ताओं को भी मजदूरी बढ़ाने और मजदूरों की कार्य परिस्थितियों में सुधार करने की सलाह दी जानी चाहिए ताकि अग्रिम देकर मजदूरों को बांधने की कोशिश करने के बजाय, नियोक्ता अच्छी मजदूरी और अधिक मानवीय कार्य परिस्थितियों के कारण अपने लिए काम करने वाले मजदूर प्राप्त करने में सफल हों।

बंधुआ श्रम के मूल स्थान और गंतव्य स्थान दोनों पर सहायता के लिए न केवल जिलाधिकारी और स्थानीय श्रम विभाग की भागीदारी की आवश्यकता होगी, बल्कि उन एजेंसियों की भी जिनकी उपस्थिति दोनों क्षेत्रों में है। इसका अर्थ हो सकता है उत्तर प्रदेश राज्य समाज कल्याण और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और राज्य मानवाधिकार आयोग या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, यदि मजदूर का स्रोत और गंतव्य

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

एक ही राज्य के अंतर्गत आता है, और गरीब मजदूर के गृह राज्य में समाज कल्याण और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जहां वह किसी अन्य राज्य से आया है, या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय श्रम मंत्रालय, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिनका क्षेत्राधिकार दोनों राज्यों पर है।

अतः हम:

1. जिलाधिकारी और एस.एस.पी. बागपत, और स्थानीय श्रम विभाग को निर्देश देते हैं कि वे मामले की जांच करें और बंधुआ मजदूरों को उचित राहत प्रदान करें जिसमें वे सभी सामाजिक-आर्थिक लाभ शामिल हैं जिनके वे हकदार हो सकते हैं जैसा कि *सागीर एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (उपर्युक्त)* में निर्धारित किया गया है।

2. हम जिला न्यायाधीश, बागपत (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) को भी निर्देश देते हैं कि वे तुरंत स्थानीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पैरालीगल या विधिक सहायता पैनल या अन्य अधिवक्ताओं की सहायता से मामले की जांच कराएं यह निर्णय करने के लिए कि याचिकाकर्ता और अन्य को बंधन में रखा गया था या नहीं और वे किन सामाजिक-आर्थिक राहतों के हकदार हैं।

3. हम यह भी चाहेंगे कि प्रधान सचिव समाज कल्याण और महिला एवं बाल विकास, उत्तर प्रदेश, राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रधान सचिव, श्रम, उत्तर प्रदेश, सचिव, श्रम, भारत सरकार, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मामले की निगरानी करें और उचित सामान्य निर्देश दें, जिसमें सभी श्रम संबंधी कानूनों का प्रवर्तन और साथ ही वर्तमान मामले में सामाजिक-आर्थिक राहत और अन्य मामलों में भी शामिल है, और कमजोर व्यक्तियों को बंधन में पड़ने से रोकने के लिए निवारक राहत भी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और केंद्रीय श्रम

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version, Not For Legal Use.

मंत्रालय इस मामले के साथ-साथ बंधुआ श्रम से संबंधित अन्य बंधुआ मामलों का समन्वय करने पर भी विचार कर सकते हैं, और वर्तमान मामले और अन्य मामलों में सामाजिक-आर्थिक राहत का प्रावधान जैसा कि सागीर एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में निर्देशित किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूएनडीपी के साथ। उपरोक्त सभी प्राधिकरण अगली सुनवाई तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं।

4. वर्तमान आदेश की प्रति के साथ-साथ बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या 70403 सन् 2011 सागीर एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में दिनांक 5.1.12 को पारित पूर्व आदेश जिलाधिकारी, बागपत; एस.एस.पी. बागपत; उप/सहायक श्रम आयुक्त, बागपत; जिला न्यायाधीश, बागपत; पंजीयक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली; पंजीयक, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग, लखनऊ; सदस्य सचिव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली; सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ; प्रधान सचिव, समाज कल्याण और महिला एवं बाल विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ; प्रधान सचिव, श्रम, उत्तर प्रदेश, लखनऊ; सचिव, श्रम, भारत सरकार, नई दिल्ली को रजिस्ट्री द्वारा 10 दिनों के भीतर भेजी जाए।

5. वर्तमान आदेश की प्रति के साथ-साथ सागीर एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में पूर्व आदेश की प्रतियां विद्वान ए.जी.ए. को 10 दिनों के भीतर दी जाएं।

6. प्रत्यर्थी संख्या 3 को चार सप्ताह के भीतर वापसी योग्य नोटिस जारी किया जाए।

7. उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इस न्यायालय को विधिक सहायता क्लीनिक स्थापित करने और पैरालीगल, और विधिक सहायता अधिवक्ताओं को नियुक्त करने के संबंध में प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करे जैसा कि सागीर एवं अन्य

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version Not For Legal Use.

बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (उपर्युक्त) के मामले में दिनांक 5.1.12 को निर्देशित किया गया था।

8. अग्रिम अनुपालना आख्या प्रस्तुत करने के लिए 21.2.2012 को सूचीबद्ध करें।

आदेश दिनांक :- 19.1.2012

Translated Version, Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।